"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2016—श्रावण 3, शक 1938

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्रमांक/एफ-17-12/2016/25-2.— भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा. का. नि. 424 (अ) नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुन: प्रकाशित की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016

सा. का. नि. 424 (अ).— केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 है।
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ख) "आश्रित" से पीड़ित के पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन अभिप्रेत हैं जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित है;'।

3. उक्त नियम के नियम 4 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों जैसा वह विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की ऐसी संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(1आ) उपनियम (1) और उपनियम (1अ) में निर्दिष्ट दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे।";

(ख) उपनियम (2) में "विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उपनियम (3) में "किसी विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "किसी विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) नियम 4 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को,-

(क) इस अधिनियम के अधिनियम रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति

(ख) अधिनियम के अध्याय 4 क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन,

का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की बीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई विनिर्दिष्ट होगी।";

(ङ) उपनियम (5) में "विशेष न्यायालयों में न्यायालयों का संचालन के लिए" शब्दों के स्थान पर "विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए " शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपनियम (6) के स्थान पर, "विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 7 में,-

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भारसाधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा।

(2क) उपनियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में विलंब यदि कोई हो, अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जाएगा।";

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग (विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है), संबद्ध राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 8 के उप नियम (1) में खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(viक) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्य के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करना;"।

6. उक्त नियम के नियम 9 में, खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vii) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।"।

7. उक्त नियम के नियम 10 में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन।"।

8. उक्त नियम के नियम 12 में,—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रबंध करेगा तथा अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1 में यथा उपबंधित पैमाने के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिन के भीतर नकदी या वस्तुरूप या दोनों से अनुतोष प्रदान करेगा और ऐसे तुरंत अनुतोष में भोजन, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित हैं।

(4अ) खजाने से तुरंत धन निकालने के लिए जिससे कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुतोष रकम का समय से उपबंध किया जा सके, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (6) के खंड (ग) में यथा उपबंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक और पुनर्वास का आदेश भी कर सकेगा।".

(ख) उपनियम (7) में, "विशेष न्यायालय" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं "विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे।

9. उक्त नियम में नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"14. **राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व** — (1) राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और साथ ही अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों की अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्कीम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी।

(2) राज्य सरकार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों, उनके द्वारा किए गए अन्वेषण और उठाए गए निवारात्मक कदमों, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और संबंधित अधिकारियों की ओर से हुई चूकों के संबंध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।"।

10. उक्त नियम के, नियम 15 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) "उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी", के शब्दों के स्थान पर "उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाएगी और उसे कार्यान्वित करेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड क के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा 11 में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम;

(ii) उपनियम (2) में, "कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्दों के स्थान पर "सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियम में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"16. राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन:

(1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:--

(i) मुख्यमंत्री या प्रशासक-अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा);

(ii) गृहमंत्री, वित्त मंत्री और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक मंत्री – सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे) ;

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे;

(iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे;

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक सचिव ।

(2) उक्त शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैठक अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अंतर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी हैं, का पुनर्विलोकन करने के लिए कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी ।"

12. उक्त नियम के नियम 17 के, उपनियम (1) में, "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

13. उक्त नियम के, नियम 17क के, उपनियम (1) में "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

14. उक्त नियमों की, अनुसूची में, उपाबंध 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपाबंध-I

[नियम 12(4) देखिए]

राहत राशि के लिए मापदंड

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>अपराध का नाम</th><th>राहत की न्यूनतम राशि</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना [(अधिनियम की धारा 3(1)(क)]</td><td rowspan="5">पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए:
(i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत;
(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना [अधिनियम की धारा 3(1)(ङ)]</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना [अधिनियम की धारा 3(1)(च)]</td><td rowspan="2">पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी । पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा:</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं के साथ हस्तक्षेप करना [अधिनियम की धारा 3(1)(छ)]</td></tr>
</table>

592

		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत । (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए : संदाय निम्नानुसार किया जाएगा (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत । (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
9.	मानव या पशुओं की अन्त्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना [अधिनियम की धारा 3(1)(झ)]	
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)]	
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने [अधिनियम की धारा 3(1)(ट)]	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए; संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : ( ) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उसमें व्यवधान डालना [अधिनियम की धारा 3(1)(ड)]	
14.	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण [अधिनियम की धारा 3(1)(ढ)]	
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ण)]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाइयाँ संस्थित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(त)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो : संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना [अधिनियम की धारा 3(1)(थ)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास [अधिनियम की धारा 3(1)(द)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ध)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से जाने किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना [अधिनियम की धारा 3(1)(न)]	
21.	शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना [अधिनियम की धारा 3(1)(प)]	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(फ)]	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ब)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रुपए; (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रुपए; (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रुपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड) [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ख(1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग(1860 का 45) दृश्यरतिकता [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ(1860 का 45) पीछा करना [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
30	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख(1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ; (ii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग(1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत. (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(भ)]	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की

		सक्षम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(म)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रुपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(य)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर रहने या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)]	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)]	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उसमें भाग लेना। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है,

		निकालने या उसमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग । [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)]	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिसमें पब्लिक के अन्य व्यापक सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है । [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]	(उ). कोई व्यवसाय करने या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिसमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग के उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
37.	डायन होने या जादू टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक आपहानि कारित करना । [अधिनियम की धारा 3(1)(यख)]	पीड़ित को एक लाख रुपए और उसके अनादर, बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय । (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना [अधिनियम की धारा 3(1)(यग)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा ।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना । [अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)]	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर.
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। [अधिनियम की धारा 3(2)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। [अधिनियम की धारा 3(2)(vii)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रुपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
	(ख) जहां अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रुपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
	(ग) जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रुपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;

		(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
45	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :-- (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों को प्रतिमास पांच हजार रुपए की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध ; (ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में प्रविष्ट किया जा सकेगा ; (iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईंट या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराया जाए जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"

[फा. सं. 11012/1/2016-पीसीआर (डेस्क)]

आईन्दी अनुराग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ) तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 774(अ) तारीख 5 नवंबर, 2014 द्वारा किया गया था।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016